(3)

अनुसूची 14– फारम सं. 612

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.....36.....सन् 2016–17

केष का प्रकार .....श्री हरिनंदन मण्डल, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–पटवारा प्रखण्ड राजनगर सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, खजौली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
30.03.2017	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–121/जि0प0दिनांक–27.1.2017 द्वारा श्री हरिनंदन मण्डल, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम–पंचायत राज पटवारा उत्तर प्रखण्ड कार्यालय, राजनगर सम्प्रति प्रखण्ड–खजौली के विरूद्ध बी0पी0एल0प्रतीक्षा सूची को तोड़कर इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुये संचालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। आरोप पत्र प्रपत्र–'क' पर आरोपी कर्मी को पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजनगर को सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। **प्रपत्र–''क''में गठित आरोपः–** 1– आप इस प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज पटवारा उत्री के प्रभार में थे। उक्त अवधि में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंदिरा आवास योजना के प्रभारी लिपिक एवं आपके मिलीभगत से आरोही क्रम को तोड़कर अवैध रूप से इंदिरा आवास के लाभुकों को लाभान्वित किया गया था। आपका यह कृत सरकारी कार्यो के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के पत्रांक–394 दिनांक–02.03.2017 द्वारा श्री मण्डल के विरूद्ध आरोप पत्र से संबंधित साक्ष्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति श्री मण्डल को प्राप्त करा दिया गया। **आरोपी कर्मी द्वारा प्रपत्र–क में गठित आरोपों पर समर्पित स्पष्टीकरणः–** वे वित्तीय वर्ष 2007 से 2010 तक ग्राम पंचायत राज पटवारा उत्तरी के पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। उक्त अवधि में उनके द्वारा इंदिरा आवास से संबंधित जो भी कार्य किया गया, उसमें वे सभी नियमों का अक्षरशः पालन किये। बी0पी0एल0 के स्थायी प्रतीक्षा चयन सूची में जहॉ कहीं भी क्रम टूटा, वे क्रम टूटने के कारण अभियुक्ति के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था। यथाः तत्समय घर पर उपलब्ध नहीं होना, जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, पूर्व में प्राप्त होना, पक्का मकान होना, सरकारी नोकरी में होना, अविवाहित होने की दशा में पिता के परिवार में ही सम्मिलित होना या मृत्यु होना, इत्यादि युक्तियुक्त कारणों का उल्लेख चयन सूची में उनके द्वारा किया गया था तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी अपने पास उपलब्ध बी0पी0एल0प्रतीक्षा सूची में उक्त आशय का स्पष्टीकरण लिखा लिया जाता था। उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित इंदिरा आवास स्थायी चयन सूची से संबंधित अभिलेख, संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं इंदिरा आवास अभिलेख सहायक से मांगने की कृपा किया	

जाय जिसके अवलोकन से श्रीमान् को उनके द्वारा किये गये नियम पालन का स्पष्ट प्रमाण मिल जायेगा।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर सुनवाई के क्रम में उपस्थित होकर पत्रांक–570 दिनांक 30.03.2017 से आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर अपना मंतव्य साक्ष्य की प्रति के साथ अंकित कर समर्पित किया जिसमें लिखा गया है कि :–कार्यालय में उपलब्ध वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक का इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से मिलान किया गया। पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा प्रतीक्षा सूची में कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

आरोपी कर्मी का अनापत्तिः–

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मंतव्य पर श्री मण्डल के अनापत्ति आवेदन में लिखा है कि वे वर्ष 2007 से 2009 तक ग्राम पंचायत राज पटवारा उतरी पंचायत में पदस्थापित थे। इसके बाद उन्हें पंचायत स्थानान्तरण कर रामपट्टी पंचायत कर दिया गया। वर्ष 2009 से 2012 तक रामपट्टी में कार्यरत रहे। बी0पी0एल0प्रतीक्षा चयन सूची से जहॉ कहीं भी क्रम टूटा, क्रम टूटने का कारण अभियुक्ति कॉलम में स्पष्ट रूप से कारण अंकित तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा लिखवा लिया जाता था जिसका सी0डी0भी तैयार किया गया था। जिसे देखा जा सकता है। जिस लाभार्थी को उस समय बंचित किया गया था, का कारण, **अविवाहित, परिवार में सम्मिलित या घर से बाहर रहने के कारण नहीं मिला था।** अब उन लाभार्थियों को इंदिरा आवास का लाभ वर्ष 2008 में मिल गया है। उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य पर इसके अतिरिक्त कोई आपत्ति नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः–

आरोप पत्र प्रपत्र–''क''में आरोपी कर्मी के विरूद्ध मुख्य आरोप बी0पी0एल0सूची को तोड़कर इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना है। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर द्वारा समर्पित साक्ष्यों में पटवारा उतरी पंचायत के प्रतीक्षा सूची में अधिकांश क्रमांक में कारण है किन्तु कुछ में कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जिसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया है। आरोपी कर्मी का कथन है कि उन्होंने सभी स्तम्भों में कारण दर्शाया था जिसमें लाभूकों द्वारा जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, पूर्व में प्राप्त होना, पक्का मकान होना, सरकारी नौकरी में होना, अविवाहित होना, पिता के साथ सम्मिलित परिवार में होना या मृत्यु होना इत्यादि कारणों का उल्लेख चयन सूची में उनके द्वारा किया गया था। जिसकी सी0डी0तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार की गयी थी जिसके अवलोकन से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। **अवशेष सभी लाभार्थियों को इंदिरा आवास वर्ष 2008 में मिला है।**

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य, आरोपी कर्मी के अनापत्ति आवेदन एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की प्रति का अवलोकन एवं परिसिलन से मैंने पाया कि आरोपी कर्मी द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि चयन सूची में स्पष्ट कारण दर्शाया गया है जिसकी तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा करायी गयी विडियोग्राफी की सी0डी0से सत्यापन करने पर सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी वर्ष 2007 से 2010 तक ग्राम पंचायत राज पटवारा उत्तरी के पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। सुनवाई के क्रम में पंचायत सचिव ने इस बात पर बल दिया कि अवशेष सभी लाभूकों को वर्ष 2008 में इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। किन्तु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया।

भले ही आरोपी कर्मी ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा तथा इस बात पर बल दिया कि लाभूकों द्वारा जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, पूर्व में लाभ प्राप्त होना, पक्का मकान होना, सरकारी नौकरी में होना, अविवाहित होना, पिता के साथ सम्मिलित परिवार में होना या मृत्यु होना इत्यादि प्रतीक्षा की सूची के अभ्युक्ति कॉलम में उनके द्वारा कारण दर्शाया गया है जिसका प्रमाण तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार सी०डी०के अवलोकन से स्पष्ट हो सकता है। किन्तु उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतीक्षा सूची संबंधी साक्ष्य में कई कमांक के अभियुक्ति कॉलम खाली है।

सारे तथ्यों से इंदिरा आवास प्रतीक्षा सूची के आरोही कम टूटने का आरोप प्रमाणित पाया गया आरोपी कर्मी के विरूद्ध अन्य आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया। मूल अभिलेख/अधिगम के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थापित करने हेतु भेजें। अधिगम की प्रति जिला पदाधिकारी महोदय को भी भेजें।

लेखापित

संचालन पदाधिकारी।

संचालन पदाधिकारी-सह
अपर समाहर्ता, मधुबनी।